कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(सी–191/रासूआ/50–2/कटनी/2006)

श्री मिथलेश जैन,एडवोकेट **अपीलार्थी**
''नेताप्रतिपक्ष''
नगर पालिक निगम
कटनी

विरूद्ध

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कटनी **लोक सूचना अधिकारी,**

आदेश

(दिनांक 08.04.06)

श्री मिथलेश जैन, ''नेताप्रतिपक्ष'', नगर पालिक निगम कटनी, ने यह शिकायत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नगर निगम में अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये की गयी प्रशासकीय व्यवस्था के संबंध में की है। इस शिकायत में उठाये गये बिन्दुओं पर प्रतिवेदन देने के लिये आयुक्त, नगर पालिक निगम कटनी को पत्र भेजा गया था उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 27.03.06 के पत्र में दी है।

2. इस शिकायत के संबंध में आवश्यक जांच एवं सुनवाई कटनी में दिनांक 8 अप्रैल 2006 को की गई। उस समय आयुक्त नगर पालिक निगम ,कटनी एवं शिकायतकर्ता श्री मिथलेश जैन,उपस्थित थे। इस शिकायत में मुख्य 04 बिन्दु उठाये गये और प्रत्येक बिन्दु का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है:–

1. शिकायत का पहला बिन्दु सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) के अंतर्गत नगर पालिक निगम कटनी के द्वारा संधारित समस्त अभिलेखों को सूचीबद्ध एवं अनुक्रमिक करने की कार्यवाही करने के संबंध में है। इस विषय पर आयुक्त, नगर पालिक निगम का कहना है कि यह समस्त कार्यवाही की जा चुकी है और रिकार्ड को कम्प्यूटरीकरण करने की कार्यवाही आरंभ की गई है। मौखिक सुनवाई के समय इस विषय पर शिकायतकर्ता का कुछ नहीं कहना था इसलिये यह बिन्दु नगर पालिक निगम के आयुक्त के द्वारा जो प्रतिवेदित किया गया है उसके आधार पर इसका निराकरण किया जा जाता है और यह निर्देश दिये जाते है कि यदि कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही आरंभ की गई है तो उसे शीघ्र पूरा किया जाये।

2. दूसरा बिन्दु अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत संधारित सूचना के प्रकाशन से संबंधित है शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कार्यवाही नहीं की गई है। नगर पालिक निगम आयुक्त का यह कहना है कि समस्त जानकारी के संबंध में एक पुस्तिका तैयार की गई है वह पुस्तिका अपने साथ में मेरे अवलोकन के लिये लाये थे जिसका अवलोकन शिकायतकर्ता ने भी किया । उन्होंने अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के संबंध में संधारित की जाने वाली जानकारी के संबंध में संबंधित समाचार पत्रों व नोंटिस बोर्ड में इस आशय की सूचना प्रकाशित की थी कि, यह जानकारी उपलब्ध है और उसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। उन्होंने अपने लिखित उत्तर के साथ विज्ञप्ति के प्रसारण के सम्बन्ध प्रपत्रों की फोटोकापी भी प्रस्तुत की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत जो जानकारी संधारित की जाना चाहिए वह पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है आयुक्त को यह निर्देश दिये गये कि वह इस प्रकार की पुस्तिका सामान्य जनता के अवलोकन के लिये नगर पालिक निगम के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपलब्ध कराये और यदि कोई नागरिक उसके किसी पृष्ठ की प्रति चाहता है तो नियमानुसार राज्य शासन के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उस पृष्ठ की प्रति उसे दी जाये।

3. शिकायत का तीसरा बिन्दु सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के आवेदन को लेने और निराकरण से संबंधित है। आयुक्त, नगर पालिक निगम ने यह बताया कि वर्तमान में अन्य डाक के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के आवेदन पत्र भी दिये जाते हैं। इस व्यवस्था से असन्तोष है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिये यह निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यालयीन समय के पूर्वान्ह में एक घटे का समय लोक सूचना अधिकारी स्वयं आवेदन पत्र लेने के लिए उपस्थित रहेंगे इस समय की सूचना पूर्व से ही नोटिस बोर्ड पर दी जाये । अपरान्ह में सहायक सूचना अधिकारी एक घण्टे आवेदन लेंगे। समय की सूचना नोटिस बोर्ड पर दी जाये ताकि किसी व्यक्ति को आवेदन देने में कोई कठिनाई न हो यह अधिकारी निर्धारित समय में उपलब्ध रहेंगे और आवेदकों को पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ–साथ वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन पत्र भी लिये जाते रहेंगे इस व्यवस्था से शिकायतकर्ता संतुष्ट है अतः यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित की जाये।

4. शिकायतकर्ता की चौथी शिकायत यह है कि ए3 और ए4 के कागज पर जो जानकारी दी जाती है उसके लिये नगर पालिक निगम 5/– रूपये प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान लेता है जो राज्य शासन के द्वारा निर्धारित फीस के अनुकूल नहीं है। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार केवल 2/–रूपये प्रति पृष्ठ लिया जाना चाहिए। आयुक्त, नगर पालिक निगम का यह कहना है कि नगर पालिक निगम, कटनी के प्रस्ताव कमांक 3 दिनांक 15 अप्रैल 2002 को यह दर निर्धारित की गई है अभी इसी दर के अनुसार यह राशि ली जाती है। उन्हें निर्देश दिये गये कि ए3 और ए4 के

कागजों में जो प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है उनके लिये राज्य शासन की निर्धारित दर 2/—रूपये प्रति पृष्ठ के अनुसार ही भुगतान लिया जाय और यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाय। नगर पालिक निगम राज्य शासन के निर्देशों के आधार पर संबंधित प्रस्ताव में संशोधन करने के लिये अलग से कार्यवाही भी करे ।

3. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाये।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त